

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(प्रतापपुर रोड, फारेस्ट कैम्पस, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा)

☎ 07774-240238 (0), 240236 (R), 240238 (F) E-Mail :- dfosouthsurguja_200@rediffmail.com

क्रमांक/तक.अधि./ 140
प्रति,

अम्बिकापुर, दिनांक/23/1/2021

मुख्य वन संरक्षक,
सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर

विषय :- Diversion of forest land for non -forest purpose under Forest Conservation Act 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Surguja Division. Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32466KM. will involve 26 districts across the state, area-8.903 ha. regarding.
Proposal no.-FP/CG/OFC/42621/2019

संदर्भ :- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) छ.ग.रायपुर का पृ0क्रमांक/2230 दिनांक 08.12.2020
2. आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./5257 दिनांक 10.12.2020
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, रायपुर का पत्र क्रमांक/115 दिनांक 18.01.2021

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट परियोजना" के सफल क्रियान्वयन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के सरगुजा वनमंडल अन्तर्गत मार्ग के सामान्तर वनभूमि 7.967 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.936 हे. कुल वनभूमि 8.903 हे. पर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण में संदर्भित पत्र क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा बिन्दु क्रमांक 02 एवं 03 की जानकारी प्रस्तुत करने बाबत निर्देशित किया गया था।

संदर्भित पत्र 03 के माध्यम से आवेदक संस्थान द्वारा बिन्दु क्रमांक 02 एवं 03 की जानकारी प्रस्तुत की गई है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	चाही गई जानकारी	विवरण
1	राजस्व वन भूमि उपयोग हेतु कलेक्टर की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	कलेक्टर जिला सरगुजा द्वारा राजस्व वनभूमि में लिए कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1308/अ.भू.अ. दिनांक 14.01.2021 द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। (छायाप्रति संलग्न है)
2	प्रस्ताव में वन विकास निगम से संबंधित कुछ वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है किन्तु उक्त प्रभावित वन क्षेत्र के गैर वानिकी उपयोग (भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाने) हेतु वन विकास निगम के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है।	वन विकास निगम के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न किया गया है। (पत्र क्र. 1180 दिनांक 02.12.2020) जिसमें मंडल प्रबंधक द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रस्ताव में उल्लेखित वन कक्ष क्र. पी 183, पी 184 एवं पी 185 वन विकास निगम के अंतर्गत नहीं आ रहा है अतः उक्त वन कक्ष को सामान्य वनमण्डल के अंतर्गत ही माना जावे।

अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी

सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर

अम्बिकापुर, दिनांक/23/1/2021

पृ.क्र./तक.अधि./ 141

प्रतिलिपि :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) अरण्य भवन सेक्टर 19 नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर अ नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर